न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या: 613/2020 (जीसीएमएस 2020/00828)

1. अब्दुल रहमान पुत्र श्री सिरदार जाति मेव निवासी ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

---अपीलांट

बनाम

1. ईलियास पुत्र श्री चतरा जाति मेव निवासी ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
2. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा, जिला अलवर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर, द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा, जिला अलवर ने अपने आदेश दिनाँक 09.07.1976 के तहत आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 135 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बैगन हेडी, तहसील तिजारा, का आवंटन मिन अपीलांट के खिलाफ बाला–बाला में रेस्पोडेंट के नाम किये जाने का आदेश सादर फरमाया था कि जिस आदेश की बाबत् मिन अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी तथा जिसका सर्वप्रथम इल्म दिनाँक 16.07.2007 को हुआ, जबकि रेस्पोडेंट विवादित आराजी को मिस मार करने लगा व जे.सी.बी. से तोड़ने लगा तो उस समय रेस्पोडेंट ने जाहिर किया कि आराजी मुतनाजा मुझे अलॉट हुई है तथा मैंनें पट्टा हासिल किया है जिस पर मिन अपीलांट ने दिनाँक 17.07.2007 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनाँक 21.07.2007 को नकल मिली व दिनाँक 22.07.2007 को कानूनी सलाह आदि करने व दिनाँक 23.07.2007 को का अवकाश हो जाने व दिनाँक 24 व 25.07.2007 को पैसों का इन्तजाम करने में व्यस्त रहा तथा दिनाँक 26.07.2007 को जगन्नाथ महाराज के मेले का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण अपील दिनाँक 27.07.2007 को नेक नियती व सद्‌भावना से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी एवं उक्त देरी को कन्डोन किये जाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद भी पेश किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को गुणावगुण पर विचार ना करके अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 बेजा व खिलाफ कानून होन के कारण निरस्तनीय है।

आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने महज रेस्पोडेंट के द्वारा कथित रुप से प्रस्तुत कर निर्णय दिनाँक 24.05.2001 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा के आधार पर यह मानते हुए कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से जानकारी थी, अपील को बेरुन मियाद मानते हुए खारिज फरमाये जाने का आदेश सादर फरमाया है, कि जो गलत है, अव्वल कथित दस्तावेज पेश किया जाता है तो आदेश–41 नियम–27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा सकता है एवं जिस पर भी संबंधित न्यायालय को एतराज पेश करने व तरदीद में दस्तावेजात पेश करने का मौका देने के बाद ही कथित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले सकती है, किन्तु उक्त कथित नकल आदेश दिनाँक 24.05.2001 को पेश करने के लिए ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया और ना मिन अपीलांट को सुना गया और ना ही तरदीद में दस्तावेजात पेश करने का मौका सादर फरमाया गया है, दांवा कथित दस्तावेज एक फौजदारी प्रकरण का है कि जो मौजूदा अपील पर लागू नहीं होता है और उसके आधार पर अपील को किसी भी प्रकार से बेरुन मियाद नहीं माना जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्यों पर किसी प्रकार का गौर नहीं फरमाया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नजीयत में यह तय किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर नम्र रुख अख्तयार करना चाहिये, चूकिं मौजूदा प्रकरण में अहम कानूनी व वाकेयाती एतराजात है व रेस्पोडेंट ने कथित आवंटन गलत तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित करते हुए अपने नाम आवंटन कराया है कि जिस पर विचार फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है व महज मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज फरमाये जाने से मिन अपीलांट को न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा व पक्षकारान के दरमियान भारी विवाद रहेगा कि जो तथ्य काबिल गौर न्यायालय श्रीमान् है। अतः उपरोक्त तथ्यों और हालातों के मद्देनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानते हुए प्रकरण पर गुणावगुण पर विचार करके अपील का निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश सादर फरमाया जावे व अन्य अनुतोश सादर फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपील के समस्त तथ्य मिथ्या एवं मनगढंत बाद मे सोचकर महज अपील को मियाद में ग्रहण कराने के निहित उद्देश्य से अंकित किये है, अपीलान्ट को अलॉटमेन्ट दिनांक 09.07.1976 एवं असके आधार पर जारी सनद पट्टा की जानकारी आरम्भ से ही रही है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही गांव के निवासी है और एक ही जाति से है तथा रेस्पोडेन्ट आवंटित आराजी पर बरोज आवंटन से आज तक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, रेस्पोडेन्ट का वर्तमान में उक्त आराजी के मौके पर

P.T.O.

कब्जा काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट आराजी से गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है जिसका कोई सम्बन्ध वास्त या किसी प्रकार का कोई सरोकार किसी भी हैसियत उक्त आराजी से ना तो कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है इसलिये अपीलान्ट द्वारा जानकारी की दिनांक 16.7.2007 मनमानी अंकित की गई है, देरी का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया है बल्कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब 31 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फसाकर अर्थिक नुकसान कारित करने एवं आराजी से वंचित करने के निहित उद्देश्य से पेश की जो असाधारण विलम्ब से होने के कारण प्रथम स्टेज पर ही खारिज योग्य थी उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2001 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 09.07.1976 को किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा लगभग 31 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तिजारा के निर्णय दिनांक 24.05.2001 के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 134, 135, 136, 242 व 235 रेस्पोडेन्ट के खेत होना बताया है जिससे यह भी स्पष्ट होता हैं कि अपीलान्ट को आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1976 की जानकारी पूर्व से ही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2008 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।